बृहन्मुंबई महानगर पालिका एवं अन्य

बनाम

आकुति निर्माण प्राईवेट लिमिटेड व अन्य

(सिविल अपील संख्या 620/2008)

23 जनवरी 2008

{डॉ. अरिजीत पसायत और पी सताशिवम, न्यायमूर्तिगण}

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888-धारा 217- प्रथम अपील-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार-अपील में अवधारित किया गयाः उच्च न्यायालय का आदेश तर्कहीन था- इस प्रकार प्रथम अपील का निस्तारण स्वीकार्य नहीं है- फलस्वरुप मामला उच्च न्यायालय को पुनः भेजा गया।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीयों के परिवाद पर विचार करने और करयोग्य मूल्य निर्धारण की पुष्टि करने से इंकार किया। प्रत्यर्थी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 217 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई थी।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रश्न उठाया था कि यह तर्कहीन था। अपील स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय को पुनः भेजा जाते हुए न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि- मुंबई नगर निगम अधिनियम,

1888 के तहत अपील में विभिन्न परस्पर विरोधी आधार उठाए गए। उच्च न्यायालय को विधि के सिद्वान्तों की पृष्ठभूमि में अन्तर्वलित तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए था। तत्पश्चात अपील निस्तारित करनी थी। ऐसा नहीं किया गया। उठाए गए तर्को और परस्पर विरोधी आधारों का विस्तृत संदर्भ देने के बाद उच्च न्यायालय अक्समात निष्कर्ष पर पहुँचा। प्रथम अपील के निस्तारण का यह तरीका उचित नहीं है। अतः मामले को विधि अनुसार गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को पुनः भेजा जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 620/2008

प्रथम अपील संख्या 1095/2000 में बाँम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11-4-2005 से।

श्वेता मजमुदार, अतुल वाई. चितले और श्रीमती सुचित्रा अतुल चितले अपीलार्थीयों की ओर से।

इंदु मल्होत्रा, शशि एम.कपिला एवं विकास मेहता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डाँ.अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1- इजाजत दी गई ।

2- इस अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई है। यह अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888(संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 217 के तहत नगर निगम अपील संख्या 2000 की 19 में लघु वाद न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31-3-2000 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई थी। अपील में वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा पारित निर्धारण आदेश को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थीगण का आदेश प्रत्यर्थीगण के परिवाद पर विचार करने से इंकार करने और कर योग्य मूल्य की पुष्टि से संबंधित है।

3- अपील के समर्थन में यद्यपि कई बिन्दुओं को उठाये जाते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख मुददा यह था कि उच्च न्यायालय ने उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है तथा प्रस्तुतियाँ अभिलिखित करने के बाद अक्समात निष्कर्ष पर पहुँचे। दूसरे शब्दों में यह प्रस्तुत किया गया कि निर्णय व्यावहारिक रुप से तर्कहीन है।

4- दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है फिर भी प्रस्तुतियाँ अभिलिखित करने के बाद निष्कर्ष पर पहुँचा गया है।

5- यह गौर किया जाना चाहिए कि अपील में विभिन्न परस्पर विरोधी आधार उठाए गए। उच्च न्यायालय को विधि के सिद्वान्तों की पृष्ठभूमि में अन्तर्वलित तत्थ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए था तत्पश्चात अपील निस्तारित करनी थी। ऐसा नहीं किया गया।

6- यह गौर किया जाना चाहिए कि उठाए गए तर्को और परस्पर विरोधी आधारों का विस्तृत संदर्भ देने के बाद उच्च न्यायालय अक्समात निष्कर्ष पर पहुँचा। प्रथम अपील के निस्तारण का यह तरीका उचित नहीं है।

7- इन परिस्थितियों में मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते है और मामले को विधि अनुसार गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए उन्हें वापस भेजते है।

8- खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित किए बिना उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्यनारायण टेलर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।